

डिक्री बमुकदमें ईत्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 292/2025

किरणपाल कौर पुत्री स्व. श्री गुरजन्त सिंह पत्नी श्री परमपाल सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला
सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

1. नक्षत्र सिंह पुत्र श्री हरी सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. सोना कौर पुत्री स्व. श्री गुरजन्त सिंह पत्नी श्री जसपाल सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. हरपिन्द्र कौर पुत्री स्व. श्री गुरजन्त सिंह पत्नी श्री हरजिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. वीरपाल कौर पुत्री स्व. श्री गुरजन्त सिंह पत्नी श्री परलाद सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. कुलदीप कौर पुत्री स्व. श्री गुरजन्त सिंह पत्नी श्री इन्द्रजीत सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. जसकरण सिंह पुत्र श्री नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. गुरदीप सिंह पुत्र श्री नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. जसवीर सिंह पुत्र श्री नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. सिकन्दर सिंह पुत्र श्री नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
10. बलजीत कौर पुत्री श्री नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
11. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई
रुबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बैरड़ वकील वादीया मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मूण्ड वकील
प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है
कि चक 7 एनकेआर के खाता संख्या 134/111 जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 मे प्रतिवादी संख्या 1
नक्षत्र सिंह पुत्र हरिसिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को 0.759
है. कृषि भूमि की वहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का उक्तानुसार
हिरसा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में
स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोट:- प्रश्नगत भूमि बेक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया
जावे।

निज..... निल..... मुक्लिक..... निल..... बाबत..... निल..... खर्चा मुकदमें के
मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक..... अदा करें।

बसब्द मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 13.6.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर

